रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 8, 2013/चैत्र 18, 1935
No. 166] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 8, 2013/CHAITRA 18, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 207(अ).–केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का प्रारूप जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप–खंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 738(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2012 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थीं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और तारीख 3 अक्तूबर, 2012 को उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप–धारा (1) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 138 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, –

"138. क. रेडियों आवर्ती पहचान टैग का फिटमेंट –

केन्द्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास पर या उसके पश्चात् विनिर्मित एम और एन प्रवर्गों के यानों पर ऐसे विनिर्देशों वाले रेडियो आवर्ती पहचान टैग फिट किए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जा सकें :

परंतु रेडियो आवर्ती पहचान टैग को उन यानों की दशा में जो ड्राइव–अवे–चेसिसों के रूप में विक्रीत किए जाते हैं, विंडशील्ड मुहैया कराते समय ड्राइव–अवे–चेसिस पर बॉडी के निर्माणकर्ता द्वारा यान के विंडशील्ड के शीर्ष केन्द्र पर लगाया जाएगा।"

[फा.सं. आर.टी–11028/16/2011–एम.वी.एल.]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि 943(अ), तारीख 31-12-2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 207(E). — Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 738(E) dated 3rd October, 2012, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd October, 2012;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (i) These rules may be called the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2013.
   (ii) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, after rule 138, the following rule shall be inserted, namely : —

   "138A. Fitment of Radio Frequency Identification Tag –

   Categories M and N motor vehicles manufactured on or after six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2013 shall be fitted with Radio Frequency Identification Tag having such specifications as may be determined by the Central Government :

   Provided that Radio Frequency Identification Tag in case of vehicles which are sold in the form of drive-away-chassis, shall be installed at the top centre of the windshield of the vehicle by the builder of the body on the drive-away chassis at the time of providing the windshield."

[F.No.RT-11028/16/2011-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* number G.S.R. 943(E) dated 31-12-2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-11005